दिनांक- 05.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 668/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर – थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस टीम ने अलग-अलग स्थानों से अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर महोबा पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर महोबा श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में गठित पुलिस टीमों द्वारा अलग-अलग स्थानों से 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा एवं जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गठित टीम के उ0नि0 सनय कुमार मय हमराह पुलिस बल द्वारा 01 नफर अभियुक्त हरी सिंह पुत्र चन्दन उर्फ चन्ना सिंह खंगार, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को ग्राम बीजानगर से शाहपहाड़ी जाने वाले रास्ते पर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0 443/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 सत्यम मिश्रा मय हमराह पुलिस बल द्वारा अभियुक्त गोपी कुशवाहा पुत्र मुकुन्दा कुशवाहा, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को डाक बंगला मैदान, बहद मोहल्ला गांधीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0 444/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. हरी सिंह पुत्र चन्दन उर्फ चन्ना सिंह खंगार, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. गोपी कुशवाहा पुत्र मुकुन्दा कुशवाहा, उम्र करीब 28 वर्ष, निवासी ग्राम बीजानगर थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

कुल बरामदगी:

- 02 अदद अवैध तमंचा 315 बोर।
- 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

प्रथम टीम-

1. उ0नि0 सनय कुमार
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार
3. का0 नरेन्द्र कुमार

द्वितीय टीम-

1. उ0नि0 सत्यम मिश्रा
2. उ0नि0 अंकित सिंह चौहान
3. का0 उमेश कुमार

महोबा पुलिस

दिनांक- 05.09.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 669/26

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पुलिस लाइन महोबा में हर्षोल्लास एवं भक्तिमय वातावरण में मनाया गया भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पुलिस लाइन महोबा स्थित मंदिर परिसर में पुलिस परिवार के सदस्यों की सहभागिता से भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव पारंपरिक रीति-रिवाज एवं भक्तिमय वातावरण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस परिवार के सदस्यों के साथ विधि-विधानपूर्वक हवन-पूजन कर भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। पूजा-अर्चना के दौरान जनपदवासियों के सुख, शांति एवं समृद्धि तथा जनपद में आपसी सौहार्द, शांति एवं सद्भावना बनाए रखने की कामना की गई।

जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया तथा भक्तिमय वातावरण में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। पुलिस परिवार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों ने श्रद्धाभाव के साथ कार्यक्रम में सहभागिता की।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, अपर जिलाधिकारी श्री इन्द्र नन्दन सिंह, उपजिलाधिकारी श्री शिवध्यान पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार, क्षेत्राधिकारी श्री अजय पाल सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री रविन्द्र मलिक, प्रभारी एलआईयू श्री राजीवकान्त सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण एवं पुलिस परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

इसी क्रम में जनपद महोबा के समस्त थानों एवं पुलिस इकाइयों में भी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी थाना परिसरों में विधि-विधानपूर्वक पूजा-अर्चना कर भगवान श्रीकृष्ण से जनपद में शांति, सुरक्षा, सौहार्द एवं जनकल्याण की कामना की गई।

जय श्री कृष्ण!